न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 06 / 2019

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 भागीरथ पुत्र मोहनलाल घांची, ममता किराणा एण्ड जनरल स्टोर, एसबीआई बैंक के सामने सोमेसर, तहसील रानी जिला पाली 2 अप्सरा अन्सारी पत्नी श्री गुलाम अहमद अंसारी, मैसर्स— अप्सरा एन्टरप्राईजेज, निवासी—31 नया शास्त्री नगर आशापुरा नगर पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक- 29/05/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 25.02.2018 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स— ममता किराणा एण्ड जनरल स्टोर, एसबीआई बैंक के सामने सोमेसर से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां आम जन को बिक्री हेतु रखे हुयी चाय (ब्राण्ड कागा) 500—500 ग्राम के पैकेट में से चार मूल पेकेट 500—500 ग्राम चाय (ब्राण्ड कागा) के वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री को प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पृथक पृथक भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर—757 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना चाय (ब्राण्ड कागा) को Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded चाय (ब्राण्ड कागा) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित जवाब पेश कर यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय कि गई उक्त खाद्य सामग्री चाय पत्ती (ब्राण्ड कागा) क्वालिटी कन्ट्रोल रिपोर्ट में संतोषजनक पाई गई है, केवल Best Before Six Month को Capital Letter में ना दर्शा कर Small Letter में लिख दिया जो कि प्रिन्टिंग प्रेस में लिपिकीय भूल से मानवीय त्रुटिवश हुआ तथा जानबुझ कर नही किया गया है, इस से मानव स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का बुरा असर नही होता है। यह अपराध क्षमा योग्य है। उक्त ब्राण्ड की चाय विक्रेता फर्म अप्सरा एन्टरप्राईजेज को उसके प्रोपराईटर श्रीमती अप्सरा अन्सारी द्वारा दिनांक 30.10.2018 को स्वास्थ्य कारणों से बन्द कर दिया है। उक्त सामग्री अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त चाय (ब्राण्ड कागा) अप्सरा एन्टरप्राईजेज से क्रय की गई, जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निर्मित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सामग्री का मात्र विक्रय ही किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है एवं न ही कोई छेडछाड की गई है एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त चाय (ब्राण्ड कागा) को अशोका टी सेन्टर से खरीदी गई है, जिसके बिल नम्बर 17394 दिनांक 8.8.2017 है। इस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण पर जो आरोप लगाया गया है, वह निराधार है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण को ड्रोप करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.02.2018 को अप्रार्थी की फर्म से चाय (ब्राण्ड कागा) के नमूने को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–757 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./221/एक्ट/2018/240 दिनांक 24.01.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–757 को Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) का माना हैं। इन तथ्यों को अप्रार्थीगण द्वारा भी स्वीकार किया हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् से परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्राथी द्वारा दिनांक 25.02.2018 को जो सैम्पल लिया गया है, वह अप्रार्थी की फर्म से लिया गया है, जिसके नमूना कोड संख्या आर–757 अंकित करते हुए उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अप्रार्थी की फर्म द्वारा विक्रय किए जा रहे चाय (ब्राण्ड कागा) को Misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 का माना हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सामग्री अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म अप्सरा एन्टरप्राईजेज से क्रय की गई है, जिसके बिल संख्या 104 दिनांक 09.09.2017 हैं। अप्रार्थी संख्या 2 को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें Kind of Business - Repacker है, जिसमें चाय को पुनः पैक किया जाकर विक्रय किए जाने की अनुमति प्रदान की गई हैं। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा खुला माल अशोका टी सेन्टर्स, जोधपुर से जरिये बिल क्रमांक 17394 दिनांक 08.08.2017 के क्रय किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

गया है, जिसे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी फर्म के लेबल से पैकिंग कर अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान किया गया हैं। उक्त चाय के पैकेट पर जो सूचनाऐं उल्लिखित की गई है, उसके प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (10) में दिए गए है, जिनके अनुसार Best Before and Use By Date के सम्बन्ध में यह प्रावधित किया गया है कि उक्त संसूचनाऐं मोटे अक्षरों में अंकित की जाएगी अर्थात the month and year in capital letters upto which the product is best for consumption in the following manner, namely :-

"BEST BEFORE …….. MONTHS AND YEAR"

OR

" BEST BEFORE …….. MONTHS FROM PACKAGING"

OR

"BEST BEFORE …….. MONTHS FORM MANUFACTURE"

उपरोक्तानुसार पैकेट पर अंकित करवाया जाना था, जो नहीं करवाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा छोटे अक्षरों (small letters) में अंकित करवाया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (10) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का उल्लंघन होकर धारा 52 के तहत दण्ड योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा चाय (ब्राण्ड कागा) की पैकेजिंग एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 2500/– दो हजार पांच सौ रूपये कुल 4000/– अक्षरे रूपये चार हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती हैं तथा अप्रार्थीगण को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/05/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली